तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/2/2022 2018/002338	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रा.पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जो शामिल मिसल किया जावे। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। राजीनामा अनुसार आदेश पारित करने बाबत निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इस राजीनामा वादी व प्रतिवादी पक्ष स्वीकार किया गया का निर्णय पृथक से लिखाया एवं सुनाया जाकर तस्दीक पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कार्य हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:01:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

——————— xx ——————— xx ———————

पीठासीन अधिकारी: श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 139/2018 वाद (2018/00238)

अनवाद

श्री शब्बीर मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद जी मंसूरी निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम — वादी

1- श्री सलीम पिता इस्माईल जी नीलगर निवासी तारापुर जावद हाल मुकाम घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2- राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति: 1- श्री किशनलाल कुमावत अधिवक्ता वादी

2- श्री चन्द्र शेखर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

निर्णय दिनांक 23/2/2022

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम घोसुण्डा में खसरा संख्या 649 रकबा 0.42 हे. स्थित होकर उक्त [illegible] के मिलकियत की है, जिस पर वादी [illegible] उपभोग करता — लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:01:49 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चला आ रहा है। वादी ने जरिये एक विक्रय पत्र बाबत्
कृषि भूमि 2,50,000/- रूपए मे दिनांक 13 जनवरी 2012 को
खसरा संख्या 649 रकबा 0.52 हे० खरीदी तब से वादी
के स्वामित्व मे ही चली आ रही है। वादी के नाम
राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करा प्रतिवादी से वादी के
नाम कराने की घोषणा स्वतंत्री कराने की डिक्री प्रदान
की जावे, इस हेतु यह दावा पेश किया जा रहा है। वादी
ने उक्त जमीन का अपने नाम इन्तकाल खुलवाने का प्रयास
किया मगर वादी अपने नाम इन्तकाल नहीं खुलवा सका है,
तथा प्रतिवादी जमीन को विक्रय करने हेतु क्रेता की तलाश भी
कर ली है, उक्त जमीन को प्रतिवादी अन्य क्रेता को विक्रय
करने का प्रयास कर रहा है। वाद कारण दिनांक 13/01/2012
से निरन्तर जारी होना बताकर निवेदन किया प्रतिवादी
द्वारा वादी को विवादित जमीन विक्रय कर देने के बाद भी अन्य
क्रेता की तलाश कर रहे हैं, तथा रहन बसीयत या अन्य
प्रकार से मुन्तकिल कर अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने की
धमकियां दे रहे है। अतः ग्राम घोसुण्डा की आराजी नम्बर
649 रकबा 0.52 हे० कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा
वादी के हक मे दिनांक 13/01/2012 को विक्रय पत्र पंजीकृत
कराया है, का राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी से वादी के नाम
तबादला कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा
से प्रतिवादी सलीम द्वारा विक्रित कृषि भूमि को अन्य क्रेता को
ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करने न ही किसी अन्य से
कराने बाबत् पाबन्द करने की डिक्री प्रदान करायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को
तलब किया गया। प्रतिवादी [illegible] ने दिनांक 07/5/2021
को उपस्थित होकर जवाब पेश करने का अवसर चाहा

---लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:01:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ऐसे दिनांक 17/12/2021 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी को इनके समाज, परिवार एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों ने मिलकर आपस मे समझाईश करा दी है, जिससे अब दोनो पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद शेष नही रहा है, वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हुआ है कि ग्राम घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मे स्थित आराजी नम्बर 649 रकबा 0.52 हे. कृषि भूमि वादी के नाम पर निर्णय व डिक्री किया जाता है तो इसमे प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। उक्त राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी की उनके अधिवक्तागण द्वारा पहचान करने पर तस्दीक किया गया। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन / अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। ग्राम घोसुण्डा स्थित आराजी नम्बर 649 रकबा 0.52 हे. भूमि प्रतिवादी संख्या एक श्री सलीम पिता ईस्माइलजी नीलगर के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी प्रतिवादी द्वारा जरिए विक्रय पत्र दिनांक 13/01/2012 से वादी को विक्रय कर दी गई है। दिनांक 17/12/2021 को वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज किए जाने मे प्रतिवादी 1 को कोई एतराज नही है। अतः हस्ब राजीनामा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम घोसुण्डा की आराजी संख्या 649 रकबा 0.52 हे. का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सलीम पिता ईस्माईल नीलगर का नाम विलोपित कर वादी का नाम दर्ज [illegible] के आदेश दिए जाते है।

निर्णय लिखवाया जा[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:01:49 IST
Reason: SelfAttested

(न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ / जिला चित्तौड़गढ़ / सत्यमेव जयते)

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.श्री शब्बीर मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद मंसूरी नि.घोसुण्डा तह.व जिला चित्तौडगढ़

—वादी

बनाम

1.श्री सलीम पिता इस्माईल नीलगर नि.तारापुर जावद हाल मुकाम घोसुण्डा तह.व जिला चित्तौडगढ़

2.राजस्थान राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ़

—प्रतिवादीगण

प्र.स. 139/2018 (GCMS 2018/00238)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 88—188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील 1.श्री किशनलाल कुमावत की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री चन्द्रशेखर जोशी की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि हस्ब राजीनामा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम घोसूण्डा की आराजी संख्या 649 रकबा 0.42 हे. का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सलीम पिता ईस्माईल नीलगर का नाम विलोपित कर वादी का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है।

इस वाद के खर्च — प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा — को दी जावे। यह आज दिनांक 23.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौडगढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:01:49 IST
Reason: SelfAttested